

RKH-1831

97-2013

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
कमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट जयपुर, दिनांक

5 JUL 2013

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन / परिवर्तन किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	78/2009	श्री दिनेश कुमार नर्स ग्रेड II सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	12/III/बी बहुमंजिला गांधीनगर	31.10.2025
2.	17/2010	श्री चन्दालाल मीणा अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	13/III/ए बहुमंजिला गांधीनगर (10/III/सी गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2021
3.	28/2010	श्री सतीश कुमार सैनी पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक, पांच बत्ती गोपानार्थ मार्ग, जयपुर।	III/42 गांधीनगर	31.12.2022
4.	34/2010	श्री दयानन्द शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर।	ई-921 गाँधीनगर (ए-103, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.1.2028
5	35/2010	श्री कमलेश व्यास सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय संयुक्त पंजीयक (मानव संसाधन विकास) सहकारी समितियां, जयपुर।	III/8 गाँधीनगर	30.9.2014
6.	36/2010	श्री सतीश चन्द शर्मा गेल नर्स द्वितीय राजकीय चिकित्सालय गांधीनगर, जयपुर।	III/68 गाँधीनगर	31.5.2024
7	38/2010	श्री श्याम सिंह पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	III/72 गाँधीनगर	31.7.2027
8	39/2010	श्री अखेदान वारण वाणिज्यिक अधिकारी, (वादकरण) वाणिज्यिक कर मुख्यालय, जयपुर	III/107 गाँधीनगर	31.8.2026
9	44/2010	श्री मिसाराम प्रजापत सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	18/III/ए बहुमंजिला गांधीनगर	30.11.2022
10	45/2010	श्री नत्थूराम सिंहल नर्सिंग अधीक्षक, ग्रेड प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	17/III/सी बहुमंजिला गांधीनगर	30.9.2013

11	151/2012	डॉ. बालगुकुन्द शर्मा रेजीडेन्ट डॉक्टर इएनटी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	ए-12, जवाहर नगर जयपुर।	31.3.2040
12	10/2013	श्रीमती पूनम चौधरी राजस्थान लेखा सेवा RAcS प्रोबेशन वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	ए-99, जवाहर नगर	30.9.2039
13	23/2013	डा० अतुल आमेटा चिकित्सा अधिकारी आरएचओ(जनरल सर्जरी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-100, जवाहर नगर	30.11.2043
14	26/2013	डॉ० मनोज कुमार बुढानिया चिकित्सक सीएसपीजी हड्डी रोग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-106, जवाहर नगर	31.8.2042
15	27/2013	श्री दौलत राम धाकड़ चिकित्सक सीएसपीजी चर्म रोग विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-149, जवाहर नगर	31.10.2040
16	30/2013	डा० अनिता यादव सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'ए' वार्ड 4, वाणिज्यिक कर विभाग झालाना झूंगरी, जयपुर	ए-157, जवाहर नगर	31.3.2046

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल रोवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुरारण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. क्रम संख्या -1 पर अंकित श्री दिनेश कुमार से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. क्रम संख्या -2 पर अंकित श्री चन्दालाल मीणा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
11. क्रम संख्या -9 पर अंकित श्री मिसाराम प्रजापत से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
12. क्रम संख्या -10 पर अंकित श्री नत्थू राम सिंहल से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
8. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2 विभाग)।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जयपुर-प्रथम, जयपुर।
11. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-प्रथम, जयपुर।
14. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर।
15. अधीक्षक, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, शास्त्री नगर, जयपुर।
16. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
17. शासन उप सचिव, (जीएफएण्डआर) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराएँ साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
19. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
20. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करावें।
22. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
23. आवंटी अधिकारी -कृपया परिवर्तित राजकीय आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास रिक्त कर सूचित करावें।
24. संबंधित अधिकारीगण।
25. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
26. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
27. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव